भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1987

दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी

†1987. श्री ससिकांत सेंतिल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देशभर में ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की लगभग 80 प्रतिशत कमी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में कार्य करने का विकल्प चुनने वाले स्नातकोत्तर चिकित्सकों को प्रोत्साहन/सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण आबादी को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए वाल रोग और प्रसूति जैसी आवश्यक विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार के पास विशेषत: देश में चल रही स्वास्थ्य देखभाल संबंधी चुनौतियों के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को आकर्षित करने और उन्हें वहां बनाए रखने के लिए कोई दीर्घकालिक कार्यनीति/नीतियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की निम्नलिखित वेबसाइट यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएचएम) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधनों के भीतर उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

मानव संसाधन (एचआर) की कमी को दूर करने के लिए, एनएचएम के तहत देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सकों और पैरामेडिक्स को अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और आवासीय क्वार्टर ।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों / आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट / जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- चिकित्सकों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलापों के संचालन के लिए प्रोत्साहन जैसे प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "आप कोट करें, हम अदा करेंगे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन सहित परक्राम्य वेतन की पेशकश अनुमेय है।
- एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वरीयता प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत चिकित्सकों के बहु-कौशल का समर्थन किया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए एनएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक और प्रमुख कार्यनीति है।

सरकार ने बाल चिकित्सा और प्रसूति सहित स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों में वर्ष 2014 से पहले 31,185 से 135% की वृद्धि करके अब 73,157 कर दिया है।

देश में चिकित्सक/मेडिकल प्रोफेशनल की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों/कदमों में शामिल हैं:-

- जिला/रेफरल अस्पताल को उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना जिसके तहत 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।
- एमबीबीएस और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को मजबूत/उन्नत करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के तहत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है।
- संकाय की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।
- मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियोजन के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया है।

****